भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †2648

सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

विदेशी पर्यटकों का आगमन

†2648. श्री ससिकांत सेंथिलः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि भारत में 2024 की पहली छमाही में 4.78 मिलियन विदेशी पर्यटकों का आगमन (एफटीए) दर्ज किया गया, जो 2019 की इसी अवधि के आंकड़े का लगभग 90 प्रतिशत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन में धीमी वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारकों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु और इस अंतर को पाटने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में विशेष रूप से अवसंरचना, सामर्थ्य और विनियमन के संदर्भ में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए उपाय लागू कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ देशों ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं, विशेष रूप से वायु प्रदूषण के कारण भारत के लिए यात्रा सलाह जारी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त चुनौतियों का समाधान करने और भारत के पर्यटन क्षेत्र पर उनके प्रभाव को कम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ङ): भारत में विदेशी पर्यटकों का आगमन (एफटीए) वर्ष 2019 में 5.30 मिलियन की तुलना में 2024 की पहली छमाही में 4.78 मिलियन दर्ज किया गया।

इसके अलावा, आप्रवासन ब्यूरो और यूएनडब्ल्यूटीओ बैरोमीटर, मई 2024 के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में एफटीए महामारी-पूर्व के स्तरों के 87.1% तक कवर हो गया है, जो 88.8% की वैश्विक रिकवरी दर के बेहद करीब है एवं एशिया-प्रशांत क्षेत्र की 65.4% की रिकवरी दर को पार कर गया है।

पर्यटन मंत्रालय ने एक वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और देश में और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए निम्नानुसार अनेक कदम उठाए हैं/पहलें की हैं:

- पर्यटन मंत्रालय देश में विभिन्न पर्यटन गंतव्यों पर पर्यटन संबंधी अवसंरचना और सुविधाओं के विकास के लिए 'स्वदेश दर्शन', 'राष्ट्रीय तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान मिशन (प्रशाद)' और 'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता' नामक योजनाओं के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/केन्द्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- पर्यटन मंत्रालय अपने विभिन्न अभियानों और कार्यक्रमों के माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का संवर्धन करता है। इनमें से कुछ पहल-देखो अपना देश अभियान, चलो इंडिया अभियान, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, भारत पर्व आदि हैं।
- अतुल्य भारत सामग्री हब लॉन्च किया गया जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। मंत्रालय की वेबसाइट-www.incredibleindia.org और सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से भी प्रचार किया जाता है।
- अन्य विशिष्ट विषयों में निरोगता पर्यटन, पाक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, इको-पर्यटन आदि जैसे विषयगत पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है ताकि पर्यटन के दायरे को अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ाया जा सके।
- महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के लिए हवाई संपर्क में सुधार के लिए, अपनी आरसीएस-उड़ान योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय ने नागर विमानन मंत्रालय के साथ सहयोग किया है। अब तक, 53 पर्यटन मार्गों को प्रचालित किया जा चुका है।
- ई-वीजा योजना अब 167 देशों और 9 उप-श्रेणियों के लिए उपलब्ध है:-

i. ई-टूरिस्ट वीजा
ii. ई-बिजनेस वीजा
iii. ई-मेडिकल वीजा
iv. ई-कोन्फ्रेंस वीजा
v. ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा
vi. ई-आयुष वीजा
vii. ई-आयुष अटेंडेंट वीजा
viii. ई- स्टूडेंट वीजा
ix. ई- स्टूडेंट एक्स वीजा

****